RBE No.132/2011
PC-VI No. 276.

भारत सरकार Government of India
रेल मंत्रालय Ministry of Railways
रेलवे बोर्ड (Railway Board)

No.E(W)2008/ED-2/4 New Delhi, Dated: 28-09-2011

The General Manager (P),
All Indian Railways & PUs.

Sub: Clarification on Children Education Allowance.

****

Please refer to Railway Board's letter of even number dated 01.10.2008 followed by subsequent letters regarding revised policy instructions / clarifications on Children Education Allowance admissible to Railway Servants, based on the recommendations of Sixth Central Pay Commission.

2. Now, DOP&T vide Office Memorandum No.21011/16/2009- Estt.(AL) dated 17-06-2011 has issued certain clarifications related to reimbursement of Children Education Allowance admissible to Government employees. The same is circulated herewith for guidance of all concerned.

Please acknowledge receipt.

(Debasis Mazumdar)
Joint Director Estt.(Welfare)
Railway Board

Encl : As above.

Contd....2/-

No.E(W)2008/ED-2/4 New Delhi, Dated:28-09-2011

Copy forwarded to :-

1. The General Secretary, NFIR, Room No.253, Rail Bhavan, New Delhi. (with 35 spares)
2. The General Secretary, AIRF, Room No.256-E, Rail Bhavan, N.Delhi (with 35 spares)
3. The Secretary General, FROA, Room No.256-A, Rail Bhavan, New Delhi (with 5 spares)
4. The Secretary, RBSS, Group 'A' Officers Association (with 5 spares)
5. The President, Railway Board Class II Officers' Association (with 5 spares)
6. The Secretary General, IRPOF, Room No.268, Rail Bhavan, New Delhi (with 5 spares)
7. The President, Indian Railway Class II Officers Association, Rail Nilayam, Secunderabad (with 5 spares)
8. The Secretary, Railway Board Ministerial Staff Association (with 5 spares)
9. The Secretary, Railway Board Class IV Staff Association (with 5 spares)
10. The General Secretary, All India RPF Association, Room No.256-D, Rail Bhavan, New Delhi.
11. The Secretary, Staff Side, National Council(JCM), 13-C, Ferozeshah Road, New Delhi-110001.
12. The President, All India SC/ST Railway Employees Association, Room No. 7, Rail Bhavan, New delhi

for Secretary/Railway Board

No.E(W)2008/ED-2/4 New Delhi, Dated: 28 -09-2011

Copy to :-

The Deputy Comptroller and Auditor General of India (Railways) Room No. 224, Rail Bhavan, New Delhi (with 40 spares).

for Financial Commissioner/Railways

Contd 3.../-

No.21011/16/2009-Estt.(AL)
Government of India
Ministry of Personnel, P.G. & Pensions
Department of Personnel & Training
****

New Delhi, Dated 17th June, 2010

OFFICE MEMORANDUM

Subject: - Clarification on Children Education Allowance.

The undersigned is directed to refer to DOP&T O.M. No: 12011/03/2008-Estt(Allowance) dated 02-09-2008 and clarificatory OM No.12011/16/2009-Estt.(AL) dated 13.11.2009 on the Children Education Allowance(CEA) Scheme, this Department has been receiving references from various Departments seeking further clarifications. The doubts raised are clarified as under:-

(i) whether Children Education Allowance would be admissible beyond two children due to failure of sterilization operation.	The reimbursement of Children Education Allowance is admissible only for the first child born after failure of sterilization operation.
(ii) whether the admissible amount per annum per child (annual ceiling of Rs.15000/-) on account of CEA can be reimbursed in full in the first quarter of the financial/academic year itself.	It is clarified that a Government servant is allowed to get 50% of the total amount subject to the overall annual ceiling in the first quarter and the remaining amount in third and or fourth quarter. Frontloading of the entire amount in the first and second quarters is not allowed. (ii) A Government servant can claim full amount subject to the annual ceiling of Rs.15000/- in the last quarter.

(Vibha Govil Mishra)
Deputy Secretary (P &A)

To

All Ministries/Departments of the Government of India

आरबीई सं. 132 /2011
पीसी VI सं. 276.

भारत सरकार
रेल मंत्रालय (रेलवे बोर्ड)

सं. ई (डब्ल्यू) 2008/ईडी-2/4 नई दिल्ली, दिनांक: 28 .09.2011

महाप्रबंधक (कार्मिक),
सभी भारतीय रेलें एवं उत्पादन इकाइयां।

विषय: संतान शिक्षा भत्ते के संबंध में स्पष्टीकरण।

कृपया रेलवे बोर्ड का दिनांक 01.10.2008 का समसंख्यक पत्र देखें जिसमें छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के आधार पर रेल सेवकों के लिए स्वीकार्य संतान शिक्षा भत्ते के संबंध में संशोधित नीति अनुदेश/स्पष्टीकरण के बारे में बाद में पत्र जारी किए गए हैं।

2. अब, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग ने 17.06.2011 के कार्यालय ज्ञापन सं. 21011/16/2009- स्थापना (भत्ते) के तहत सरकारी कर्मचारियों के लिए स्वीकार्य संतान शिक्षा भत्ते की प्रतिपूर्ति से संबंधित कतिपय स्पष्टीकरण जारी किए हैं। इसे सर्वसंबंधितों के मार्गदर्शन के लिए परिपत्रित किया जा रहा है।

कृपया पावती दें।

(देबाशीष मजूमदार)
संयुक्त निदेशक स्था. (कल्याण)
रेलवे बोर्ड

संलग्नक: यथोक्त।

सं. ई (डब्ल्यू) 2008/ईडी-2/4 नई दिल्ली, दिनांक: 28 .09.2011

प्रतिलिपि प्रेषित:

1. महासचिव, एनएफआईआर, कमरा नं. 253, रेल भवन, नई दिल्ली (35 अतिरिक्त प्रतियों सहित)।
2. महासचिव, एआईआरएफ, कमरा नं. 256-ई, रेल भवन, नई दिल्ली (35 अतिरिक्त प्रतियों सहित)।

ESTT-E (W)

3. महासचिव, फ्रोआ, कमरा नं. 256-ए, रेल भवन, नई दिल्ली (5 प्रतियों सहित)।
4. सचिव, आरबीएसएस, ग्रुप "ए" ऑफिसर्स एसोसिएशन (5 प्रतियों सहित)।
5. अध्यक्ष, रेलवे बोर्ड क्लास-II ऑफिसर्स एसोसिएशन (5 प्रतियों सहित)।
6. महासचिव, इरपोफ, कमरा नं. 268, रेल भवन, नई दिल्ली (5 प्रतियों सहित)।
7. अध्यक्ष, इंडियन रेलवे क्लास-II ऑफिसर्स एसोसिएशन, रेल निलयम, सिकंदराबाद (5 प्रतियों सहित)।
8. अध्यक्ष, ऑल इंडिया एससी/एसटी रेलवे इंप्लाईज एसोसिएशन, 7-जीएफ, रेल भवन, नई दिल्ली।
9. सचिव, रेलवे बोर्ड मिनिस्ट्रीयल स्टॉफ एसोसिएशन (5 प्रतियों सहित)।
10. सचिव, रेलवे बोर्ड श्रेणी-IV कर्मचारी एसोसिएशन (5 प्रतियों सहित)।
11. महासचिव, ऑल इंडिया आरपीएफ एसोसिएशन, कमरा नं. 256-डी, रेल भवन, नई दिल्ली।
12. अध्यक्ष, ऑल इंडिया एससी/एसटी रेलवे इंप्लॉइज़ एसोसिएशन, कमरा नं. 7, रेल भवन, नई दिल्ली।

कृते सचिव, रेलवे बोर्ड

सं. ई (डब्ल्यू) 2008/ईडी-2/4 नई दिल्ली, दिनांक:28.09.2011

प्रतिलिपि प्रेषित:

भारत के उप नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (रेलें), कमरा नं. 224, रेल भवन, नई दिल्ली (40 अतिरिक्त प्रतियों सहित)।

कृते वित्त आयुक्त/रेलें

सं. ई (डब्ल्यू) 2008/ईडी-2/4 नई दिल्ली, दिनांक:28.09.2011

प्रतिलिपि प्रेषित:

1. महाप्रबंधक, पू.सी. रेल (निर्माण), मु.प्र.अ., दक्षिण रेल (निर्माण) और मध्य रेल (निर्माण)।
2. वित्त सलाहकार एवं मुख्य लेखा अधिकारी, सभी भारतीय रेलें, उत्पादन इकाइयां, पू.सी. रेल (निर्माण) और दक्षिण रेल (निर्माण)।

ESTT-(W)

सं. 21011/16/2009-स्था.(भत्ते)
भारत सरकार
कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय
(कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक; 17th जून, 2011

कार्यालय ज्ञापन

विषय :- सन्तान शिक्षा भत्ता पर स्पष्टीकरण ।

अधोहस्ताक्षरी को सन्तान शिक्षा भत्ता (सीईए) योजना पर कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 02.09.2008 के कार्यालय ज्ञापन सं. 12011/03/2008-स्था.(भत्ते) तथा दिनांक 13.11.2009 के स्पष्टीकरणपरक कार्यालय ज्ञापन सं. 12011/16/2009-स्था.भत्ते) का हवाला देने का निदेश हुआ है, इस विभाग को विभिन्न विभागों से और भी स्पष्टीकरणों की मांग करने वाले सन्दर्भ प्राप्त हो रहे हैं । उत्पन्न हुए सन्देह निम्नलिखित प्रकार से स्पष्ट किए जाते हैं :-

(i) क्या नसबन्दी ऑपरेशन के असफल होने के कारण दो सन्तानों के अलावा सन्तान शिक्षा भत्ता स्वीकार्य होगा ।	सन्तान शिक्षा भत्ता की प्रतिपूर्ति, नसबन्दी ऑपरेशन के असफल होने के बाद पैदा हुए केवल प्रथम बच्चे के लिए स्वीकार्य है ।
(ii) क्या सन्तान शिक्षा भत्ता के कारण प्रति सन्तान प्रति वर्ष स्वीकार्य राशि (15000/- की अधिकतम वार्षिक सीमा) वित्तीय/वर्ष की अपनी पहली तिमाही में पूर्ण रूप से प्रतिपूर्ति की जा सकती है ।	यह स्पष्ट किया जाता है कि सरकारी कर्मचारी को पहली तिमाही में समग्र वार्षिक सीमा के अध्यधीन कुल राशि का 50% प्राप्त करने की अनुमति है और शेष राशि तीसरी अथवा चौथी तिमाही में । पहली और दूसरी तिमाही में समग्र राशि की अग्रखेप की अनुमति नहीं है । (ii) कोई सरकारी कर्मचारी अन्तिम तिमाही में 15000/- रूपए की वार्षिक सीमा के अध्यधीन पूर्ण राशि का दावा प्रस्तुत कर सकता है ।

(विभा गोविल मिश्रा)
उप सचिव (पी एण्ड ए)

सेवा में,

भारत सरकार के सभी मंत्रालय/विभाग